



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-02122025-268165
CG-TL-E-02122025-268165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5352]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2025/अग्रहायण 11, 1947

No. 5352]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2025/AGRAHAYANA 11, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 1 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5540(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सारणी स्तम्भ (6) में उल्लिखित अधिकारी को प्राधिकृत करती है.

सारणी

क्र.सं.	विशेष रेलवे परियोजना	राज्य	जिला	मंडल	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सिकंदराबाद (सनतनगर)-वाडी स्टेशनों के बीच(173.18 कि.मी.) 3 ^{री} और 4 ^{थी} लाइन	तेलंगाना	संगारेड्डी	रामचंद्रापुरम	राजस्व मंडल अधिकारी, संगारेड्डी

[फा. सं. W.Con.182/SRP-20/SC-WADI/24-25/279/7A/011225]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 1st December, 2025

S.O. 5540(E).— In exercise of the powers conferred by Clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in the column(6) of the Table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Special Railway Project as mentioned in column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in Column (3) of the said table with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No	Special Railway Project	State	District	Mandal	Competent authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3rd and 4th lines between Secunderabad (Sanathnagar) – Wadi stations (173.18 Km)	Telangana	Sangareddy	Ramachandrapuram	Revenue Divisional Officer, Sangareddy

[F. No. W.Con.182/SRP-20/SC-WADI/24-25/279/7A/011225]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II